

## महत्वपूर्ण एवं खास

## चलती ट्रेन को पब्लिसिटी का जरिया बनाने वालों के ऊँझेंगे विज्ञापन

रायगढ़। रेलगाड़ियों को सामानों की पब्लिसिटी का जरिया

बनाने वालों को छूट देने के मामले में रेलवे की हमेशा सुखियों में

रहा है। ऐसे विज्ञापनों पर रोक लगाने रेलवे बोर्ड ने मसौदा तैयार कर लिया है। अब उसी

का विज्ञापन ट्रेनों में नजर आएगा जो सामान और यात्रियों को सेवाएं दे सकता है। शीर्ष

अफसरों ने काफी विचार-विवरण के बाद इसका तोड़ निकाला और मसौदे को मंजूरी दी है। साल 2019 रेल में सफर करने वाले

यात्रियों के लिए काफी कुछ दबाव लेकर आ रहा है। चाहे वह

महानगरों में लोकल ट्रेनों के नए अवतार की बात हो या फिर

टिकट में रियायत। इसी कड़ी में रेलवे की एक और नई योजना

जिसमें यात्रियों को ट्रेन के भीतर जिस भी कंपनी का विज्ञापन

टंग दिखेगा उसी से सेवाएं मिलेगी। लंबे अंतराल बाद चलती ट्रेन

में सेवाओं के बदले विज्ञापन की छूट देने की नीति को रेलवे ने

अपनाया है। यानी नई योजना के तहत ट्रेन के टॉयलेट में उसी

कंपनी का साबुन होगा जिसका विज्ञापन होगा। यात्रियों के सफर

को सुगम बनाने रेलवे बोर्ड ने इसे मंजूरी दी है।

## नए पुलिस कप्तान के आदेश का

## होने लगा परिपालन

रायगढ़। नए पुलिस कसान राजेश अग्रवाल द्वारा चार्ज लेने के

साथ ही कई तरह के कार्यों को अमलीजामा पहनाने के लिए

शुरूआत से ही जोर दिये हैं। जिसके बाद प्रथम विभागीय बैठक में

मातहत अधिकारियों कर्मचारियों को दिशा निर्देश देते हुए लम्बित

प्रकरण से लेकर कम्पनीटी पुलिस के साथ

साथ थाने में जब्त कबाड़ व शाराब को

नष्टीकरण के लिए जरूरी कार्यों को किये

जाने की बात कही थी। इस अदेश के दूसरे

से ही कोतवाली पुलिस ने थाने में जब्त

कबाड़ को थाना परिसर से हटाये जाने के

लिये कानूनी कार्रवाई करने लगी है। जिसमें

कोतवाली पुलिस साल के अंतिम दिन सोमवार को लगभग 2 टन

कबाड़ को कोट में प्रस्तुत किया गया जहां पुलिस द्वारा कबाड़ के

मालिकों का ज्ञान नहीं होने पर नीलामी की प्रक्रिया के लिए

प्रतिवेदन दिए जाने की मांग की गई है। बताया जा रहा है कि

न्यायालय द्वारा आगामी अदेश में सम्प्रवतः नीलामी प्रक्रिया पर

भेज सकती है।

## मजदूर को जबरदस्ती ईंट भट्ठा ले जाते

## दो आरोपित गिरफतार

रायगढ़। डरा धर्मकार जबरन इट भट्ठे में काम करने ले जा रहे

दो व्यक्तियों को सारांगढ़ पुलिस ने अपने गिरफतार करने में

सफलता हासिल की है। ग्राम गोपालपुर थाना बस्केला में रहने

वाला रामलाल सिद्दार उर्फ़ लेकर पिंडा गजपति सिद्दार उर्फ़ 32

वर्ष मजदूरी का काम करता है। पूर्व में रामलाल सिद्दार अपनी

पत्नि और ग्राम टाडीपार के पुनाऊ सतनामी तथा ग्राम सहस्रपाली

के शैकीलाल चौहान के साथ उत्तर प्रदेश ईंट बनाने गया था। वहां

इनसे लगभग 1 महीना काम कराया गया और काम के एवज में

केवल खाना खर्चा के लिये रुपये दिया। परंतु कोई मेहताना नहीं

दिया जिससे ये गए लोग वापस भागकर आ गए।

## आज से महंगी हो जाएगी जमीन की रजिस्ट्री, एक फीसदी चुकाने होंगे दाम

## नए साल से बदल जाएगा नियम, शासन के फैसले से प्राप्ती बाजार में मंदी के आसार

रायगढ़। शहरी क्षेत्र के मकान या प्लॉट की रजिस्ट्री आज से महंगी हो जाएगी। नए साल से जमीन की रजिस्ट्री करने वालों को एक फीसदी ज्यादा शुल्क देना पड़ेगा। शासन के इस फैसले से लोगों को दोहरी मार झेलनी पड़ेगी। साथ ही पहले से ही मंदी के दौर से गुजर रहे प्राप्ती बाजार में और भी मंदी की आशंका है।

शहरी क्षेत्र में भू-खंडों की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। जिला मूल्यांकन समिति की रिपोर्ट में सबसे ज्यादा कीमत श्याम टॉकीज रोड से सतीयुग्मी चौक के भू-खंडों की है। इसके अपर्सों के अनुसार रजिस्ट्री शुल्क में बढ़िया रुपए के पहले से ही राजस्व विभाग ने दिए थे। इसलिए रजिस्ट्री करने वालों की भीड़ ज्यादा तरफ़ से बहुत बढ़ रही रहती है। जिला पंजीयक के अपर्सों के अनुसार रजिस्ट्री शुल्क में बढ़िया रुपए के पहले से ही राजस्व विभाग की पूर्ति में भी विभाग का पसीना छूट सकता है। पंजीयन ऑफिस में प्राप्ती डीलरों का आना-जाना होता रहा। लेकिन जनवरी से इन जगहों की जमीन की खरीदी-बिक्री में प्राप्ती डीलरों का आना-जाना होता रहा। इस संबंध में उपर्जीयक बसंत कुमार ने बताया कि शासन के

शुल्क एक प्रतिशत बढ़ जाएगी।

यानी 5 लाख रुपए के प्राप्ती की रजिस्ट्री करने में 5

हजार रुपए ज्यादा चुकाना पड़ेगा। जमीन की कीमतों का मूल्यांकन बाजार भाव के अनुसार किया गया रहा है। इसलिए दाम बढ़ जाएगा।

जिला पंजीयक के अपर्सों के अनुसार रजिस्ट्री

करने वालों की बढ़ोतारी

की जानकारी मिली है।

## देर रात तक निपटाते रहे फाइल

उप पंजीयक कार्यालय में साल के अंतिम दिन जमीन की रजिस्ट्री

से जुड़े फाइलों को कर्मचारी देर रात तक निपटाते रहे। ब्यौकिंक कुछ ही घंटे बाद रजिस्ट्री शुल्क में एक फीसदी

की बढ़ोतारी की कड़ी दवा का

अलग-अलग रेट तैयार की जाएगी।

जिला पंजीयक के अपर्सों के अनुसार रजिस्ट्री

शुल्क में बढ़िया रुपए के पहले से ही राजस्व विभाग

की पूर्ति में भी विभाग का

पसीना छूट सकता है।

जिला पंजीयक के अपर्सों के अनुसार रजिस्ट्री

शुल्क में बढ़िया रुपए के पहले से ही राजस्व विभाग

की पूर्ति में भी विभाग का

पसीना छूट सकता है।

जिला पंजीयक के अपर्सों के अनुसार रजिस्ट्री

शुल्क में बढ़िया रुपए के पहले से ही राजस्व विभाग

की पूर्ति में भी विभाग का

पसीना छूट सकता है।

जिला पंजीयक के अपर्सों के अनुसार रजिस्ट्री

शुल्क में बढ़िया रुपए के पहले से ही राजस्व विभाग

की पूर्ति में भी विभाग का

पसीना छूट सकता है।

जिला पंजीयक के अपर्सों के अनुसार रजिस्ट्री

शुल्क में बढ़िया रुपए के पहले से ही राजस्व विभाग

की पूर्ति में भी विभाग का

पसीना छूट सकता है।

जिला पंजीयक के अपर्सों के अनुसार रजिस्ट्री

शुल्क में बढ़िया रुपए के पहले से ही राजस्व विभाग

की पूर्ति में भी विभाग का

पसीना छूट सकता है।

जिला पंजीयक के अपर्सों के अनुसार रजिस्ट्री

शुल्क में बढ़िया रुपए के पहले से ही राजस्व विभाग

की पूर्ति में भी विभाग का

पसीना छूट सकता है।

जिला पंजीयक के अपर्सों के अनुसार रजिस्ट्री

शुल्क में बढ़िया रुपए के पहले से ही राजस्व विभाग

की पूर्ति में भी विभाग का

पसीना छूट सकता है।

जिला पंजीयक के अपर्सों के अनुसार रजिस्ट्री

शुल्क में बढ़िया रुपए के पहले से ही राजस्व विभाग

की पूर्ति में भी विभाग का

पसीना छूट सकता है।